संख्या:06/2020/4270जेएल/22-3-19-100(123)/2019

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020***

विषय: जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सतीश सिंह उर्फ बन्टी सिंह पुत्र श्री भगवान बक्स सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36560/सामा-1(3)/बलरामपुर/2019, दिनांक 20-12-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सतीश सिंह उर्फ बन्टी सिंह पुत्र श्री भगवान बक्स सिंह को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार बरेली में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या:06/2020/4270जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर/बरेली।
4. पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
6. अधीक्षक, जिला कारागार बलरामपुर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in